# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262581 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607
Website: prsu.ac.in; E-mail id: dcdc.ptrsu@gmail.com


क्रमांकः 88 /DCDC/19 रायपुर, दिनांकः 11/09/2019

## महाविद्यालय विकास परिषद् की बैठक दिनांक 20.08.2019 का कार्यवृत्त

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्यादेश क्रमांक–54 के कण्डिका 4(1) [i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii एवं ix] के तहत् विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 21/DCDC/19 रायपुर, दिनांक 02.04.2019 के द्वारा महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया गया।

महाविद्यालय विकास परिषद् के सदस्यों की बैठक दिनांक 20.08.2019 को विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में अपरान्ह् 12:00 बजे आयोजित की गयी। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो. के.एल. वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. ए.के. गुप्ता, डी.सी.डी.सी. – संयोजक
3. प्रो. रीतावेणुगोपाल – सदस्य
4. प्रो. माया वर्मा – सदस्य
5. प्रो. के.के. घोष – सदस्य
6. प्रो. आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य
7. डॉ. जय नारायण केशरवानी – सदस्य
8. डॉ. दयाशंकर जगत – सदस्य
9. डॉ. अमिताभ बैनर्जी – सदस्य
10. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर – सदस्य
11. डॉ. मनोज मिश्रा – सदस्य
12. डॉ. देवाशीष मुखर्जी – सदस्य
13. डॉ. संध्या गुप्ता – सदस्य
14. डॉ. एस.के. भट्ट – सदस्य
15. डॉ. के.के. बिंदल – सदस्य
16. डॉ. जय नारायण वर्मा – सदस्य
17. डॉ. प्रतिमा चन्द्राकर – सदस्य
18. डॉ. शिवेश्वर उपाध्याय – सदस्य
19. डॉ. एस.जे. डहरवाल – विशेष आमंत्रित सदस्य

प्रो.. ए.के. गुप्ता, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए बैठक आरंभ किया तथा पूर्व में आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की बैठक में हुई चर्चा के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं की संक्षेप में जानकारी प्रदान की गयी तथा उस पर कृत कार्यवाही से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयीः–

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की योजनाओं एवं अनुदान हेतु महाविद्यालयों का 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से 30 शासकीय एवं 10 अशासकीय महाविद्यालय 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा 2(f) अन्तर्गत के अंतर्गत 33 शासकीय एवं 15 अशासकीय महाविद्यालय पंजीकृत है।

संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शेष महाविद्यालयों में 2(f) एवं 12(b) के पंजीयन हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता बतायी। उक्त अनुक्रम में समय–समय पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् द्वारा महाविद्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है।

2. महाविद्यालय विकास परिषद में अध्यादेश के अनुसार शासन स्तर पर दो सदस्यों के नाम शीघ्र नामांकित किए जाने हेतु पहल किए जाने का सुझाव सदस्यों से प्राप्त हुआ। जिससे की बैठक के माध्यम से शासन को भी कमियों एवं उपलब्धियों की जानकारी सीधे प्राप्त हो सके।

जिस पर मान. कुलपति जी ने स्वयं इस संबंध में शासन स्तर पर बात करने की सहमति दी।

3. NAAC:- सभी महाविद्यालयों का NAAC द्वारा प्रत्यायन कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से 23 महाविद्यालयों को NAAC द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त है। ऐसे महाविद्यालय जिनको पूर्व में NAAC ग्रेडिंग प्राप्त हुआ था किन्तु जिसकी समय–सीमा समाप्त हो चुकी है तथा ऐसे महाविद्यालय जिन्होने अभी तक NAAC मूल्यांकन हेतु प्रयास नहीं किया है उनके द्वारा NAAC प्रत्यायन हेतु शीघ्र पहल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

4. IQAC:- सभी महाविद्यालयों में IQAC का गठन किया जाए तथा अध्ययन–अध्यापन में गुणवत्ता हेतु निरंतर प्रयास किया जावे।

5. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 27 एवं 28 का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए विशेषकर महाविद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति, ग्रंथालय में पुस्तकों की उपलब्धता, e-Library तथा प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

6. सदस्यों द्वारा UGC की कार्यप्रणाली एवं महाविद्यालयों में NAAC मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्तर कराए जाने की मांग की गई।

संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने उन्हें बताया कि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय मानव संसाधन विभाग के द्वारा प्राचार्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाती है। जिसमें पूर्व में UGC की कार्यप्रणाली एवं महाविद्यालयों में NAAC मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी। इस वर्ष भी सितम्बर माह में प्राचार्यों के लिए विश्वविद्यालय मानव संसाधन विभाग के द्वारा कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

7. कुलपति जी ने महाविद्यालय विकास परिषद् के गठन की आवश्यकता एवं महत्व के संबंध में जानकारी दी तथा निर्देशित किया कि– सभी महाविद्यालयों में UGC की योजनाओं का

कियान्वयन, NAAC द्वारा मूल्यांकन, ग्रन्थालय में पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति आदि की कार्यवाही निरंतर की जावे।

सदस्यों द्वारा UGC की कार्यप्रणाली एवं महाविद्यालयों में NAAC मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्तर कराए जाने की मांग पर कुलपति जी ने भविष्य में विश्वविद्यालय Academic Staff College (HRD) के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराए जाने का विचार व्यक्त किया।

प्रो. ए.के. गुप्ता के द्वारा इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शिक्षा के गुणवत्ता विकास में संवर्धन के लिए आवश्यक पहल करने हेतु प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। मान. कुलपति जी एवं उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न की गई।

कुलपति
अध्यक्ष

संयोजक/संचालक
महाविद्यालय विकास परिषद्

पृ.क्रमांकः 89 /DCDC/19 रायपुर, दिनांकः 11/09/2019

प्रतिलिपिः—

1. समस्त सदस्य, महाविद्यालय विकास परिषद् को सूचनार्थ।
2. उप कुलसचिव (अका.)/उप कुलसचिव (सा.प्रशा.)/अधिष्ठाता छात्र कल्याण
3. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
4. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र.शु. वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

संचालक
महाविद्यालय विकास परिषद्
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर